



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वयत्ता संगठन)

शिक्षा सदन, 17 इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, नई दिल्ली - 110002



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An autonomous Organization Under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17 Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002

के.मा.शि.बो./सं.स/शै./वि.वि.दि/2015

दिनांक: 2 दिसंबर, 2015

परिपत्र संख्या शैक्षणिक: 81/2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसम्बर, 2015 के संबंध में

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1992 में, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के संकल्प 47/3 के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य विकलांगता के मामलों की समझ बढ़ाने और विकलांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकार और कल्याण के लिए समर्थन जुटाना है। इसका उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक और सांस्कृतिक में विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण से उनकी जागरूकता में वृद्धि करने के लिए उपाय करने से है। इस वर्ष के 'विश्व विकलांगता दिवस का विषय' "समावेश महत्त्वपूर्ण है: विविध क्षमताओं के व्यक्तियों की पहुंच व सशक्तीकरण" है।

विद्यालय में विश्व विकलांगता दिवस के आयोजन का उद्देश्य, विद्यार्थियों में विद्यालयी काल से ही, विकलांग बच्चों द्वारा उनकी निजी सामाजिक शैक्षिक और मनोरंजनात्मक जीवन में दिन प्रतिदिन की चुनौतियों को गंभीरता से समझना है।

अतः बोर्ड चाहता है कि उपरोक्त विषयों को दर्शाते हुए '3 दिसम्बर' को विद्यालय विश्व विकलांगता दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। कुछ प्रस्तावित कार्यक्रमलाप:

कक्षा V से VIII तक

‘भेदभाव निवारण-न्यायसंगत अवसर’ पर नारा लेखन

‘विकलांग व्यक्ति के सशक्तीकरण’ पर पोस्टर निर्माण

कक्षा IX से XII तक

‘मानवाधिकार और विकलांगता’ पर वक्तव्य

‘राष्ट्र निर्माण में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी’ पर नुक्कड़ नाटक

कक्षा XI से XII तक

‘समावेशीकरण विरूद्ध सीमांतीकरण’ पर वाद विवाद

भारत में ‘अपंगता प्रावधान’ पर निबन्ध

भेदभाव को कम करने, सभी को समान अवसर और पहुंच के लिए समावेशी शिक्षा की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपरोक्त गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं।

कार्यकलापों की 200 शब्दों में फीडबैक और इन कार्यकलापों की विद्यालय द्वारा ली गई तस्वीरों की 01 प्रति डॉ. संदीप कुमार जैन, संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो. को, inclusion.cbse@gmail.com पर भेज सकते हैं।

सादर



डी.टी. सुदर्शन राव

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)